उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या–क0नि0–5–2527/11–2011–500 (33)/2011
लखनऊः दिनांकः 08 जुलाई, 2011

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा–78 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से भूमि के ऐसे स्वामी, जिसकी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश की नई भूमि अर्जन नीति के अनुसार अर्जित की गई है, के पक्ष में निष्पादित विक्रय/पट्टा के ऐसे लिखत पर, जिसमें इस प्रकार अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर स्वरूप प्राप्त की गई विकसित भूमि सम्मिलित है, तथा प्रतिकर की धनराशि की सीमा तक कृषि भूमि के विक्रय के लिखत पर भी संदेय निबन्धन शुल्क से छूट प्रदान करते हैं, परन्तु यह कि कृषि भूमि के विक्रय का ऐसा लिखत प्रतिकर प्राप्त किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाये।

स्पष्टीकरण– (1) इस अधिसूचना के अधीन छूट, उस संस्था, जिसने भूमि अर्जित किया है, से निर्गत प्रतिफल स्वरूप प्रतिकर धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही कृषि भूमि के विक्रय के लिखत पर उपलब्ध होगी।

(2) यदि प्रतिकर की धनराशि, कलेक्टर द्वारा नियत दरों के आधार पर आगणित मूल्य से कम हो तो उसमें दी गई प्रतिकर की धनराशि तक, छूट प्रदान की जायेगी।

आज्ञा से,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव

संख्या–क0नि0–5–2427 /11–2011–500(33)/2011 दिनांक 08 जुलाई, 2011

प्रतिलिपिः अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक 08 जुलाई, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय एवं एक सौ प्रतियां शासन के कर एवं निबंधन, अनुभाग–5 को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–क0नि0–5–2427(1)/11–2011–500(33)/2011 दिनांक 08 जुलाई, 2011

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ को शासनादेश संख्या 632/एक–13–11–20(29) 2004 दिनांक 02.06.2011 की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण की नीति एवं अधिसूचना की प्रति को अपने स्तर से समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश व समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश तथा समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– विधायी अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Kar Evam Nibandhan Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5- २५२७ /11-2011-500(33)/ 2011 dated: July ०८ , 2011 for general information.

NOTIFICATION

No. K.N.-5- २५२७ /11-2011-500(33)/ 2011
Lucknow, Dated: July ०८, 2011

In exercise of the powers under clause (a) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) the Governor is pleased to remit the Registration fee from the date of publication of this notification in the Gazette payable on the instrument of sale/lease executed in the favour of the owner of land, whose land is acquired in accordance with the New Land Acquisition Policy of Uttar Pradesh under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 and such instrument of sale/lease contains the developed land, got as compensation for the land so acquired and also on the instrument of sale of agricultural land up to the amount of compensation, provided that such instrument of sale of agricultural land is executed within one year from the date of getting compensation.

Explanation-

(1) The remittance under this notification shall be available on the instrument of sale of agricultural land only on production of certificate about the use of compensation amount as consideration, issued from the institution, which acquired the land.

(2) If the amount of compensation is less than the value calculated on the basis of the rates fixed by the Collector then the remittance shall be available up to the amount of compensation set forth therein.

By order,

Net Ram
Principal Secretary